संख्या-23/1803/26-1-2014-3(34)/2014

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक: 03 जून, 2014

विषय- जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पदों को एकीकृत संवर्ग होने के फलस्वरूप इनके मध्य कार्य विभाजन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशालय समाज कल्याण के पत्र संख्या-147/सक/स्था-1/प्रस्ताव/2014-15, दिनांक 29-05-2014 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त समाज कल्याण विभाग में कार्यरत जिला समाज कल्याण अधिकारियों/जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) के पदधारकों के मध्य निम्नवत् कार्य बॅटवारा किया जाता है:-

क्र0	जिला समाज कल्याण अधिकारी	जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास)
1	समाजवादी पेंशन योजना	अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से संबंधित समस्त कार्य
2	वृद्धावस्था पेंशन योजना	नि:शुल्क बोरिंग
3	पारिवारिक लाभ योजना	स्वच्छकार विमुक्त एवं पुनर्वास योजना
4	शादी-बीमारी योजना	पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना
5	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार उत्पीड़न योजना	दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना
6	वृद्ध एवं अशक्त गृह	अनुदानित विद्यालय/संस्थाओं का रख-रखाव
7	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का रख-रखाव	पालीटेक्निक/आई0टी0आई0
8	विमुक्ति जाति योजना से संबंधित कार्य	बुक बेंक योजना
9	रा0उन्नयन बस्ती/रा0औद्योगिक आस्थान	मेरिट उच्चीकृत योजना
10	डिजिटल सिग्नेचर	डिजिटल सिग्नेचर
11	आहरण वितरण अधिकारी का कार्य	-
12	अन्य अवशेष कार्य	-

2- जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) आवंटित योजनाओं के संचालन हेतु एक माह के अन्दर एन0आई0सी0 से सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करेंगे, ताकि योजनाओं के संचालन में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न हो तथा आवंटित कार्य के सम्पादन की पूर्ण जिम्मेदारी उनके स्वयं की हो।

3- जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) को जिला समाज कल्याण अधिकारियों को वाहन अनुरक्षण मद में अनुमन्य धनराशि के बराबर धनराशि दी जायेगी तथा सी0यू0जी0 की अनुमन्यता जिला समाज कल्याण अधिकारियों के समान होगी।

4- जनपद में किसी एक अधिकारी के तैनात न होने पर अथवा अवकाश पर रहने की दशा में जनपद में उपलब्ध/तैनात जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) द्वारा उपरोक्त समस्त कार्यो का सम्पादन किया जायेगा।

5- उक्त अधिकारियों द्वारा उपरोक्तानुसार आवंटित कार्य सम्पादित किया जायेगा।

भवदीय

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-23/1803(1)/26-1-2014-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त मण्डलायुक्त।
2- समस्त जिलाधिकारी।
3- समस्त मण्डलीय, संयुक्त निदेशक/उपनिदेश समाज कल्याण, उ0प्र0।
4- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज कुमार त्रिवेदी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in